

आदेश पत्रक

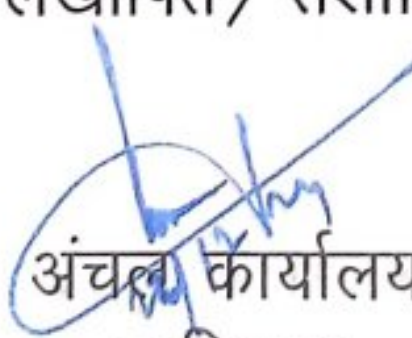
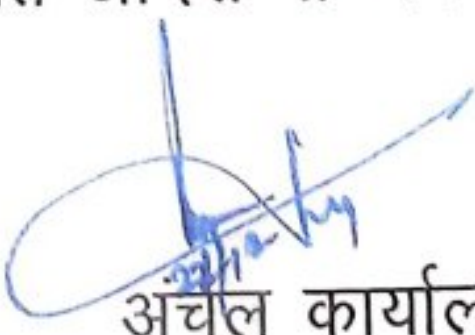
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक - ता० _____ से _____ तक

जिला _____ सं० _____ सन् 20 _____

केस का प्रकार ई को 2 पार २१० ०५/१५-२५

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
15/11/23	अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका सुमित्रा देवी पति प्रदुमन ठाकुर, रंजु देवी पति सुरज ठाकुर, रुकमणि देवी पति शंभु ठाकुर ग्राम-डाढा में वर्ष 1995 श्रीमति रंथि देवी पति छोटन सिंह से 0.40^{1/4} ए० भूमि क्रय किया हूँ जिसका आर०एस० खाता संख्या-67 प्लॉट संख्या-2799 सी०एस० खाता संख्या-165 प्लॉट संख्या-2076 उक्त भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे है परन्तु अंगद कुमार सिंह पिता गंगाधर सिंह एवं अंगद कुमार सिंह के पत्नी एवं मां, भाई मेरा खरिदगी की गई भूमि हडपना चाहते है आवेदिका के द्वारा जांच कर उचित कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया है उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें अभिलेख दिनांक-<u>22/12/23</u> को रखें।  अंचल अधिकारी, बारियातु।	

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
22/12/24	सुमित्रा देवी वास्ते शम्भू ठाकुर(देवर) उपस्थित एवं अंगद कुमार सिंह उपस्थित। अंगद कुमार सिंह का कहना है कि कुल रकबा-0.47 ए० का प्लॉट संख्या-2799 है इसमें से 0.03 ए० भूमि शम्भू ठाकुर के पिताजी बंधु ठाकुर को बेचा गया था बचत रकबा-0.44 ए० भूमि में से फिर 0.40^{1/3} ए० भूमि फिर विक्री किया गया जिसमें खरीदार सुमित्रा देवी थे। जिसमें 0.47 ए० भूमि विक्री किया गया। शेष बचत रकबा-3.75 ए० भूमि में अभि हमलोगों का घर बना हुआ है हमारे पिताजी को दो भाई थे दोनों आधा-आधा रकबा के हकदार थे जिसमें चाचा की मृत्यु हो गई उसके बाद चाची आधा जमीन के जगह पूरा जमीन बेच दिए हमलोग आधे भूमि के लिए लड़ रहे हैं आधा जमीन हमारा है और हमलोग लेकर रहेंगे यह खतियानी जमीन और हमलोग का हक बनता है। शम्भू ठाकुर का कहना है, कि गंगाधर सिंह और छोटन सिंह दो भाई थे खाता संख्या-165 में तीन प्लॉट है जिसमें 1.08 ए०, 0.47 ए० एवं 0.03 ए० का आधा प्लॉट है। प्लॉट संख्या-2799 में कुल रकबा-0.47 ए० भूमि है जो मेरे खरिदगी भूमि है जिसका केवाला संख्या-2827 दिनांक-24.04.1995-96 में दाखिल-खारिज भी हुआ था। उस भूमि में मेरा बाउड्री भी बना हुआ है नरेगा से कुआं भी बनाया गया है। रसीद संख्या-380098/27.01.1999 खाता संख्या-165, प्लॉट संख्या-2076 रकबा-0.40^{1/2} ए० तथा ऑनलाईन रसीद संख्या-6579412/21.11.2019 खाता संख्या-165, प्लॉट संख्या-2076 रकबा-0.04^{1/2} ए० सुमित्रा देवी, रंजू देवी एवं रुकमनी देवी CRPC-144 Case No.-484/2020 अंगद कुमार सिंह बनाम सुमित्रा देवी लोक अदालत में Case Dispose हो गया। इस वाद में किसी के पक्ष में कोई डिक्री नहीं दी गई है। यह वाद स्वत्व से संबंधित है जो इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। <u>आदेश</u> उभय पक्षों को सलाह दी जाती है कि अपने स्वत्व की प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। उभय पक्षों को उक्त आदेश से अवगत कराएं। अतः अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित/संशोधित  अंचल कार्यालय बारियातु।  अंचल कार्यालय बारियातु।	